



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक-08.11.2022

### एसटीएफ व थाना सिगरा पुलिस टीम द्वारा हत्या के मामले में वांछित रु0 20,000/-

### का इनामिया अभियुक्त आर्या उर्फ आकाश सरोज उर्फ टमाटर गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज के पर्यवेक्षण में एसटीएफ व थाना सिगरा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु.अ.स. 393/2022 धारा 147/148/149/504/506/307/302/34 भा0द0वि0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट में 20 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त आर्या उर्फ आकाश सरोज उर्फ टमाटर पुत्र स्व0 चन्दन सरोज निवासी म0नं0 सी 33/222 चन्दुआ छित्तपुर थाना सिगरा वाराणसी को रोडवेज बस स्टैण्ड कैण्ट के बाहर मुख्य मार्ग पर थाना सिगरा से दिनांक-07.11.22 को समय करीब 17.50 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**घटना का विवरण-** दिनांक 12.10.22 को सिगरा थाना क्षेत्र के जय प्रकाश नगर कालोनी अन्तर्गत शराब पीकर हंगामा करने कर रहे लोगों को मना करने पर अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी श्री रुद्रेश कुमार सिंह के पिता श्री पशुपति नाथ सिंह व भाई श्री राजकुमार सिंह पर लाठी डंडा व राड से जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें वादी के पिता की मृत्यु हो गयी तथा भाई घायल हो गये। वादी की तहरीर के आधार पर थाना सिगरा में अभियोग पंजीकृत कर, विवेचना प्रभारी निरीक्षक सिगरा द्वारा सम्पादित की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**आर्या उर्फ आकाश सरोज उर्फ टमाटर पुत्र स्व0 चन्दन सरोज निवासी म0नं0 सी 33/222 चन्दुआ छित्तपुर थाना सिगरा वाराणसी, उम्र करीब 23 वर्ष।

**विवरण पूछताछ-** पूछताछ करने पर अभियुक्त आर्या उर्फ आकाश सरोज उर्फ टमाटर ने बताया कि मैं 307 गैंग का सदस्य हूँ, मेरा एक इस नाम से कई लडको का सोशल मीडिया पर ग्रुप है और जब कभी किसी लडके से कोई विवाद होता है तो सूचना प्राप्त होने पर हम लोग समूह के रूप में वहाँ पहुँच जाते हैं। दि0-12.10.22 की शाम करीब 7 बजे से 7.30 के मध्य मन्टू सरोज, राहुल सरोज पुत्रगण अनूप सरोज व बाबू सरोज पुत्र कचालू सरोज जो चंदुआ सट्टी के पीछे नरीमल पुर थाना सिगरा के रहने वाले हैं अपने लोगो के साथ ठेके पर शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान ये लोग गाली-गलौज व उपद्रव करने लगे उसी समय राजकुमार सिंह भवन स्वामी अपने कुछे लोगो के साथ आकर बाबू सरोज से उलझ गये और मारने-पीटने लगे तथा लोगो को वहाँ से जो लोग बवाल कर रहे थे भगा दिये। तब बाबू, राहुल तथा मण्टू ने जो हम लोगो का एक 307 नाम से गैंग बना है और सभी लोग मोबाइल से इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं पर सूचना दिया तो मैं, दिनेश पाल, सूरज यादव, अनूप सरोज, मन्टू सरोज, अभिषेक सरोज, गणेश सरोज, मनीष पाण्डेय, रमेश पाल व हमारे अन्य साथी सुरेश सरोज, श्यामबाबू, पवन, साहिल गुप्ता, सन्दीप गुप्ता, विशाल राजभर, विकास राजभर, बाबू सरोज व राहुल सरोज के साथ लाठी/डंडा व ईट/पत्थर अपने-अपने हाथों में लेकर ठेके के सामने पहुँचे और राजकुमार से पूछा कि क्यो गाली और धमकी दिये हैं, जिस पर राजकुमार सिंह हम लोगो को पुनः गाली-गलौज देने लगे जिस पर कहा-सुनी होने लगी और हम लोगो ने लाठी पत्थर व ईट से गाली का बदला गाली देते हुए व जाने से मारने की धमकी देते हुए मारने-पीटने लगे। जिससे वे गिर गये और शोर पर उनके पिता बचाने आये, वो भी हम लोगो से उलझने लगे तो उन्हें भी हम लोगो ने ईट से बुरी तरह से मारा-पीटा जब तमाम लोग शोर पर आने लगे तो हम सभी लोग भाग गये थे। बाद में सुना कि राजकुमार सिंह के पिता पशुपतिनाथ सिंह की ट्रामा सेंटर बीएचयू में मौत हो गयी है। मैं अपने हाँथ में रॉड लिये था उसी से मैंने मारा था और उस रॉड को मैंने सामने घाट से गंगा जी में बीच धारा में फेंक दिया था।

दि0-18.03.22 को मोहन शाव केशरी पुत्र मिठाई शाव नि0-सी33/222 चन्दुआ छितुपुर सिगरा वाराणसी तथा उसके पुत्र दिलीप केशरी व भतीजे चन्दन केशरी, और भड्डा व बडवा पुत्रगण चन्दन सरोज के साथ हमलोगो ने मार-पीट कर इन लोगो को घायल कर दिया था, जिसमें दिलीप केशरी को काफी गंभीर चोटे आयी थी। इस घटना को भी हम लोगो ने मिलकर कारित किया था। आज मैं रोडवेज के पास कचहरी अपने अधिवक्ता के यहाँ अदालत में हाजिर होने के लिए अधिवक्ता से बातचीत करने की नीयत से खड़ा था और अपने साथी का इन्तजार कर रहा था कि मेरा साथी आ जाय तो उसके साथ वकील साहब के घर पर चल कर बातचीत कर लूं और कल हम लोगों को वकील साहब हाजिर करा दें पर आप लोगों ने पकड लिया।

### आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0-393/22 धारा 147/148/149/504/506/307/302/34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।

2-मु0अ0सं0-86/22 धारा 147/323/504/506/307 भादवि थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम-

#### थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी

- प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह
- उ0नि0 मो0 आरिफ खान
- उ0नि0 आदित्य सिंह
- हे0का0 कृष्णा नन्द राय
- का0 धनन्जय सिंह
- हे0का0 रामकृपाल सिंह
- का0 संतोष राय
- का0 घनश्याम
- का0 विपिन यादव
- का0 सुधान्शु शुक्ला

#### एसटीएफ यूनिट वाराणसी

- उ0नि0 प्रदीप कुमार सिंह
- हे0का0 सुशील सिंह
- हे0का0 चालक राकेश कुमार मिश्रा
- कमान्डो संजीव कुमार

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

